भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या 428
गुरुवार, 08 दिसंबर, 2022 / 17 अग्रहायण, 1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

नांदेड़-दिल्ली उड़ान सेवा

428. श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नांदेड़ से दिल्ली तक सीधी उड़ान सेवाएं शुरू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सेवा के कब तक शुरू होने की संभावना है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डा.), विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क) और (ख): मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम के समाप्त किए जाने के पश्चात, भारतीय घरेलू विमानन बाजार पर नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप एयरलाइनें, इस संबंध में मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन, किसी भी तरह के विमान के साथ क्षमता बढ़ाने के लिए तथा सेवाएँ प्रदान करने के लिए किसी भी बाजार एवं नेटवर्क का चयन करके देशभर में प्रचालन शुरू कर सकती हैं। अतः मौजूदा दिशानिदेशों का अनुपालन करते हुए, यातायात की मांग एवं वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विशिष्ट स्थानों पर हवाई सेवाएँ प्रदान करना, एयरलाइनों का सरोकार है।

हालांकि, नागर विमानन मंत्रालय ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने एवं जनसाधारण के लिए हवाई यात्रा को किफ़ायती बनाने हेतु दिनांक 21.10.2016 को क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस)- उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) शुरू की है। उड़ान बाज़ार आधारित योजना है। यदि कोई एयरलाइन, बोली प्रक्रिया के भावी चरणों में नांदेड़-दिल्ली मार्ग के लिए वैध बोली प्रस्तुत करती है, तो उस पर उड़ान योजना दस्तावेज के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाएगा।